न्यायालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार बाड़ी

निर्णय दिनांक 29.1.2010

मु.नं. 97/10

उनवान:- हटाव पर विशम्भर

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का पिलावाई ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी खसरा नम्बर 901 रकबा 0-08 किस्म गै.मु. बारे ग्राम (पिलावाई) पर विशम्भर पुत्र होतेराम जाति राजपूत निवासी स्वयं तहसील बाड़ी ने सम्बत 2064 रबी/खरीफ में फसल गैहूं कर अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी उपस्थित आया

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी विशम्भर पुत्र होतेराम जाति राजपूत निवासी (पिलावाई) को आ. ख. नं. 901 रकवा 0-05 वारे ग्राम पिलावाई से तुरन्त प्रभाव से बेदखल किया जाता है तथा लगान का 50 गुना शास्ती राशि 500/- (अक्षरे रूपेय पांच सौ मात्र) आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। T R A को मतालवा कायम कराया जावें। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आल दिनांक 29.1.2010 को

खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसील बाड़ी (धौलपुर) राज

भाग शाखा 57 का सकल 17
पंजिका के पृष्ठ क्रमांक ...
की क्रम संख्या ... पर किया गया है।
दिनांक 16/4/18
ह० ... संस्थापक
... बाड़ी